न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
26 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	23.03.2017	28.11.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.............प्रार्थी

बनाम

1–विक्रेता श्री बालकिशन अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर दास जाति महाजन निवासी एसबीबीजे बैंक के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक मैसर्स श्रीराम मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड घण्टाघर रोड घण्टाघर टोंक जिला टोंक

2–श्री संजय कुमार पुत्र श्री बालकिशन अग्रवाल प्रोपरायटर मैसर्स श्रीराम मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड घण्टाघर रोड घण्टाघर टोंक जिला टोंक

3–मैसर्स श्रीराम मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड घण्टाघर रोड घण्टाघर टोंक जिला टोंक

4–श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री केदार नाथ शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स सरस्वती मेडिकोज बी–12, शिवालय मार्ग सेठी कॉलोनी जयपुर राज.

5–मैसर्स सरस्वती मेडिकोज बी–12, शिवालय मार्ग सेठी कॉलोनी जयपुर राज.

6–श्रीमति रेखा शर्मा प्रोपरायटर मैसर्स केडना फार्मास्यूटिकल्स बी–12, शिवालय मार्ग सेठी कॉलोनी जयपुर राज.

7–मैसर्स केडना फार्मास्यूटिकल्स बी–12, शिवालय मार्ग सेठी कॉलोनी जयपुर राज.

8–श्रीमति कमल दुआ प्रोपरायटर मैसर्स कमल फार्मा 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज.

9–मैसर्स कमल फार्मा 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज.

10–श्री कुशाग्र अग्रवाल निवासी 16 अग्रसेन कॉलोनी, ब्रह्मपुरी खुर्रा, जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज.

11–मैसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज.

.........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1– पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि उप.।

दिनांक 28.11.2022

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.09.2016 को समय 03:00 पीएम पर मैसर्स श्रीराम मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड घण्टाघर रोड घण्टाघर टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां श्री बालकिशन अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर दास मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बालकिशन

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अग्रवाल ने स्वयं को मैसर्स श्रीराम मेडिकल एजेन्सीज अस्पताल रोड घण्टाघर रोड घण्टाघर टोंक जिला टोंक का विक्रेता होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में फूड सप्लीमेंट के साथ–साथ **फूड सप्लीमेंट केज इन्सटेंट एनर्जीयर (Food Supplement Krej Instant Energier)** 54 मूल पैक प्रत्येक 210 ग्राम पैक के दुकान में वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु रखे थे, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री बालकिशन अग्रवाल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बालकिशन अग्रवाल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **फूड सप्लीमेंट केज इन्सटेंट एनर्जीयर (Food Supplement Krej Instant Energier)** जिसके बैच नम्बर पी.पी.–76 एवं पैकिंग की दिनांक 08/16 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 210 ग्राम पैक के 12 नग पॉली पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **फूड सप्लीमेंट केज इन्सटेंट एनर्जीयर (Food Supplement Krej Instant Energier)** 210 ग्राम पैक के 12 नग पॉली पैक को बराबर–बराबर तीन–तीन नग के चार भाग तैयार कर चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1423 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री बालकिशन अग्रवाल पुत्र श्री रामेश्वर दास जाति महाजन निवासी एसबीबीजे बैंक के पास सुभाष बाजार टोंक जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सरस्वती मेडिकोज बी–12, शिवालय मार्ग सेठी कॉलोनी जयपुर राज. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त फूड सप्लीमेंट क्रय करना बताया।

आवेदक द्वारा मैसर्स सरस्वती मेडिकोज बी–12, शिवालय मार्ग सेठी कॉलोनी जयपुर राज. से पत्र व्यवहार कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्त में उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स केडना फार्मास्यूटिकल्स बी–12, शिवालय मार्ग सेठी कॉलोनी जयपुर राज. का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ फूड सप्लीमेंट क्रय करना बताया एवं अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा लाईसेंस, ड्रग लाईसेन्स व अन्य सर्टिफिकेट की छायाप्रति प्रेषित की।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स केडना फार्मास्यूटिकल्स बी-12, शिवालय मार्ग सेठी कालोनी जयपुर राज. से पत्र व्यवहार कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का ड्रग लाईसेन्स की छायाप्रति व बतौर वारन्टी मैसर्स कमल फार्मा 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त फूड सप्लीमेंट क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स कमल फार्मा 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. से पत्र व्यवहार कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का ड्रग लाईसेन्स की छायाप्रति व बतौर वारन्टी मैसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. का खरीद बिल प्रेषित कर उपरोक्त फूड सप्लीमेंट क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. से पत्र व्यवहार कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये जिसके प्रतिउत्तर में उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा लाईसेंस, ड्रग लाईसेन्स व अन्य सर्टिफिकेट की छायाप्रति प्रेषित कर उपरोक्त फूड सप्लीमेंट का समस्त जिम्मेदार मैसर्स पिंकसिटी फार्मास्यूटिकल्स 2/7 मालवीया नगर जयपुर राज. होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/5109 दिनांक 21.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2789/एक्ट/2016/461 दिनांक 14.10.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **फूड सप्लीमेंट केज इन्सटेंट एनर्जीयर (Food Supplement Krej Instant Energier)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप **(Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट अप्रार्थीगण को मय रजिस्टर्ड डाक से भिजवायी गयी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से श्री बालकिशन अग्रवाल की फर्म के प्रतिनिधि एवं शेष अप्रार्थीगण की ओर से उनके प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित हुए तथा अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फूड सप्लीमेंट केज इन्सटेंट एनर्जीयर (Food Supplement Krej Instant Energier)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **फूड सप्लीमेंट केज इन्सटेंट एनर्जीयर (Food Supplement Krej Instant Energier)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 ता 3 पर शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 4 व 5 पर शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 6 व 7 पर शास्ति रूपये 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) तथा अप्रार्थी सं. 8 ता 11 पर शास्ति रूपये 50,000/– (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.11.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0